



गुरुवार, दिनांक २५ अप्रैल विषयक बिलिय

मोटा गोदावरी

रेखा

III/13

प्राची

प्राची एवं उपर्युक्त विषयक बिलिय

मोटा गोदावरी

१८-

कलंग कोट

राजस्थान प्रशासन

२५ अप्रैल १९४७

प्राची एवं उपर्युक्त विषयक बिलिय

मोटा गोदावरी विषयक बिलिय

मोटा गोदावरी

प्राची

प्राची एवं उपर्युक्त विषयक बिलिय

मोटा गोदावरी विषयक बिलिय

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

मुख्यमन्त्री का दस्तावेज़ १०८२ नं.

मुख्यमन्त्री  
गवर्नर

मुख्यमन्त्री का दस्तावेज़

मुख्यमन्त्री का दस्तावेज़

मुख्यमन्त्री

मुख्यमन्त्री का दस्तावेज़

मुख्यमन्त्री

मुख्यमन्त्री

भारत का अवलोकन किया वह पुनरावलोकन द्वारा विकास व व्यापक सुधार प्रक्रम के दृष्टि में १५५ वा. १२ मा. पारित आदेश विद्यमान ०३ जनवरी, २०१३ के विरुद्ध मोप्र० मु-राजस्व संहिता, १९५९ (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) को धारा ५१ के तहत प्रत्युत किया गया है।

१२ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रत्युत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का विभाग आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन कानून व्यीकार किया जा सकता है:-

- १ यह एवं महत्वपूर्ण बांधुसम्बन्ध का पता चलना जो वस्तु समय व आदेश पारित विद्यमान हो सककरत्वात् प्रश्नात् जानहो गिल पाइ था।
- २ निम्नस्वरूप कानून विलयन गती
- ३ यह अन्य विवादों कारण।

आगाम ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके प्रत्यक्ष उपकारिता अविद्या से कोई आवाहन विद्यमान द्वारा नहीं किया गया। उपर्युक्त विवादों के अविद्या का इस बहु रहा है। यह विवलोकन प्रत्यक्ष विवादों के अविद्या का अविद्या सुविद्या।

  
राजस्व  
गवर्नर